संख्या–179/USDMA/792 (2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड़ शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

यू0एस0डी0एम0ए0

देहरादून, दिनांक 15 मई, 2020

विषयः राज्य में अवस्थित ग्राम सभा में आने वाले प्रवासियों की व्यवस्थाएं/निगरानी हेतु शासकीय कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य में अवस्थित विभिन्न ग्राम सभाओं में देश के अनेक राज्यों तथा जनपदों से प्रवासियों का आगमन हो रहा है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तालाबन्दी की अवधि में व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति दिये जाने के क्रम में उत्तराखण्ड में आने वाले व्यक्तियों की कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निगरानी किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी ऐसे समस्त ग्रामों में जहां पर प्रवासियों का आगमन हुआ है, वहां पर अनिवार्य रूप से शासकीय कार्मिक (ग्राम सभा में अवस्थित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं या अन्य विभागों के कार्मिक) की तैनाती करना सुनिश्चत करें। उपरोक्त शासकीय कर्मी का यह दायित्व होगा कि वह लगातार Quarantine (Home or otherwise) में रह रहे व्यक्तियों हेतु समस्त व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करेंगे एवं लगातार अनुश्रवण करते रहेंगे। उपरोक्त से सम्बन्धित व्यवस्थाएं करने में होने वाला व्यय मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा।

2. आप यह भी अवगत हैं सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 22 (एच) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये कार्यालय आदेश संख्या–117/USDMA-838(2020) दिनांक 04 मई, 2020 के द्वारा समस्त ग्राम प्रधानों को शक्तियों का प्रतिनिधायन करते हुये निर्देश जारी

किये गये है। उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित ग्राम में समस्त व्यवस्थाएं करने हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को रू0 10,000/– तक की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दे सकते हैं।

3. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित ग्राम सभाओं में शासकीय कार्मिक की शीघ्र तैनाती करना सुनिश्चित करें एवं उपरोक्त संन्दर्भित कार्यालय आदेश में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये सम्बन्धित शासकीय कार्मिक द्वारा ग्राम प्रधानों को ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों को क्वारनटाईन करने में सहयोग तथा अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मण्डल आयुक्त, कुँमाऊ एवं गढवाल।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी